


# RADIO TELEPHONY



M  
A  
N  
U  
A  
L



UP POLICE RADIO TRAINING SCHOOL  
MAHANAGAR, LUCKNOW(U.P.)

# वीएचएफ रेडियो टेलीफोनी परिचालन



उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय  
महानगर, लखनऊ।

पर्यवेक्षण, डिज़ाइन एवं सम्पादन

सत्य प्रकाश सिंह,

उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), एम०सी०आर० / प्रशिक्षण

सहयोगीगण

वी० के० वर्मा

रेडियो निरीक्षक, प्रशिक्षण

अजय कुमार सोनकर

प्र०परि०र्य० / 1049

## अनुक्रमणिका

क्र०	विषय	पृ०सं०
1	प्रस्तावना	3-4
2	रेडियो टेलीफोनी केन्द्र के उपकरण एवं उनका रखरखाव	5-7
3	रेडियो टेलीफोनी केन्द्र हेतु "मॉडल कोड ऑफ कण्डक्ट"	8-9
4	रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर	10-15
5	रेडियो टेलीफोनी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले संदेशों का विवरण	16-17
6	रेडियो टेलीफोनी संदेशों की ब्रीच ऑफ सिग्नल सिक्योरिटी	18-19
7	विशिष्ट अवसरों (यथा वीआईपी भ्रमण, चुनाव, दंगे) पर रेडियो टेलीफोनी संचार	20
8	रेडियो टेलीफोनी संचार एवं वायरलेस बेस्ड पी०ए० संचार	21-22
9	रेडियो टेलीफोनी वार्ता के लिए ध्यान देने वाली बातें	23

1.

## प्रस्तावना

संचार व्यवस्था के नित नये एवं आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी पूरे विश्व में रेडियो टेलीफोनी संचार पर आज भी भरोसा कायम है। यह संचार प्रणाली पुलिस एवं सेना के साथ-साथ प्राइवेट तौर पर भी प्रयोग की जा रही है। बहुत सी जगहों पर रेडियो टेलीफोनी संचार को स्टेटस सिम्बल के तौर पर भी अपनाया जाता है।

रेडियो टेलीफोनी व्यवस्था हेतु लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। इस संचार व्यवस्था में प्रयोग होने वाले वायरलेस सेट भी लाइसेन्स उपकरण की श्रेणी में आच्छादित होते हैं। इन उपकरणों के क्रय से पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आवृत्ति का आवंटन कराना होता है एवं प्रयोग हेतु प्रतिवर्ष स्पैक्ट्रम चार्ज का भुगतान भी करना होता है।

इस प्रणाली के अनाधिकृत उपयोग हेतु कड़े दण्ड के प्राविधान हैं। प्रणाली से कूट भाशा/देश/समाज हित के विरुद्ध अनाधिकृत संदेश प्रेषण करते पाये जाने पर देशद्रोह की स्थिति बन जाती है।

उत्तर प्रदेश में रेडियो टेलीफोनी संचार पद्धति पुलिस संचार व्यवस्था का सशक्त एवं भरोसेमन्द माध्यम है। इस माध्यम से पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम है। जनपद की कानून व्यवस्था के साथ-साथ विशेष अवसरों जैसे मेला, वीआईपी ड्यूटी, चुनाव एवं साम्प्रदायिक दंगे आदि अवसरों पर भी समुचित नियंत्रण करने में रेडियो टेलीफोनी संचार का कोई विकल्प नहीं है।

रेडियो टेलीफोनी संचार पद्धति के माध्यम से जनपद के समस्त थानों, चौकियों व अन्य उच्चाधिकारियों के सेट पर सामूहिक रूप से पलक झपकते ही आदेश/निर्देश प्रसारित किये जा सकते हैं ऐसी त्वरित व्यवस्था अन्य किसी माध्यम से संभव नहीं है। रेडियो टेलीफोनी पुलिस का "कमांड एण्ड कन्ट्रोल" है।

रेडियो टेलीफोनी के माध्यम से ग्रिड पर होने वाला प्रसारण सभी के द्वारा सुने जा सकने कारण किसी संवेदनशील घटना/महत्वपूर्ण गतिविधि की सूचना मिलने मात्र से ही सम्पूर्ण जनपदीय पुलिस स्वतः सचेत हो जाती है।

रेडियो टेलीफोनी के माध्यम सरहदीय जनपदों को त्वरित गति से जनपद में घटित घटना की सूचना, प्रेषित कर अन्तर्जनपदीय अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।

संचार का अत्यंत सशक्त एवं संवेदनशील माध्यम होने के कारण इसका प्रयोग अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से किया जाना चाहिये।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत पुलिस रेडियो टेलीफोनी संचार का संचालन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। पुलिस व्यवस्था में रेडियो टेलीफोनी संचार की महत्ता एवं अपरिहार्यता

के दृष्टिगत रेडियो टेलीफोनी पर गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है।

प्रश्नगत रेडियो टेलीफोनी संचार परिचालन मैनुअल इस प्रकार तैयार किया गया है कि कोई भी इसे सरलता से समझ सकता है। मैनुअल के माध्यम से ज्ञानवर्द्धन एवं अभ्यास करके एक कुशल परिचालक बन सकता है। मैनुअल को सुव्यवस्थित रीति से प्रस्तुत करने के क्रम में निम्न विषयों का समावेश किया गया है—

- रेडियो टेलीफोनी केन्द्र के उपकरण एवं उनका रखरखाव
- आरटी केन्द्र हेतु "मॉडल कोड ऑफ कण्डक्ट"
- आरटी प्रोसीजर
- आरटी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले संदेशों का विवरण
- आरटी संदेशों की ब्रीच ऑफ सिग्नल सिक्योरिटी
- आरटी वार्ता में संदेशों की कोडिंग का महत्व एवं आवश्यकता
- विशिष्ट अवसरों (यथा वीआईपी भ्रमण, चुनाव, दंगे) पर आरटी संचार
- आरटी संचार एवं वायरलेस बेस्ड पी0ए0 संचार
- आरटी वार्ता के लिए ध्यान देने हेतु बातें

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि रेडियो टेलीफोनी परिचालन मैनुअल उ0प्र0 पुलिस वायरलेस के कार्मिकों के लिये अत्यन्त उपयोगी होने के साथ-साथ जनपदीय पुलिस कार्मिकों के लिये भी मार्गदर्शक होगा।



2.

## रेडियो टेलीफोनी केन्द्र के उपकरण एवं उनका रखरखाव

रेडियो टेलीफोनी केन्द्र पर सामान्यतः निम्न उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाएँ उपलब्ध रहती हैं—

### उपकरण / उपकर्मिकाएँ:

क्र०	सेट / उपकरण	विवरण
1.	रेडियो टेलीफोनी सेट	यह सेट सामान्यतः 25 वाट क्षमता का वीएचएफ आवृत्ति का सेट होता है जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाय पर कार्य करता है।
2.	पावर सप्लाय	25 वाट क्षमता के सेट के साथ प्रयोग की जाने वाली यह पावर सप्लाय एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है जो 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में बदल देता है।
3.	टेलीफोन सेट	यह सामान्यतः बीएसएनएल का लैण्डलाइन टेलीफोन सेट होता है।
4.	हैवी ड्यूटी बैटरी	यह 12 वोल्ट 100 एएच वीआरएलए एसएमएफ या 12 वोल्ट 120 एएच लेड एसिड बैटरी हो सकती है। एसएमएफ बैटरी में अलग से डिस्टिल वाटर डालने की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु लेड एसिड बैटरी में समय-समय पर अलग से डिस्टिल वाटर डालने की आवश्यकता होती है।
5.	कनेक्टर, फीडर एवं एण्टीना	रेडियो टेलीफोनी सेट से सिग्नल सही प्रकार से प्रसारित होने चाहिये, इसमें कनेक्टर, फीडर एवं एण्टीना का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कनेक्टर का कार्य फीडर के एक सिरे को सेट से एवं फीडर के दूसरे सिरे को एण्टीना से जोड़ने का होता है। फीडर एवं कनेक्टर का जोड़ सही न होने पर सही पावर सेट से एण्टीना को प्राप्त नहीं होती है और अच्छे से अच्छा वायरलेस सेट लगाने के बाद भी सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं।



रेडियो टेलीफोनी सेट



हैण्ड हैल्ड रेडियो टेलीफोनी सेट



पावर सप्लाई



एसएमएफ बैटरी

## Wireless Static set/Hand Held set एवं उपकरणों का रख-रखाव

क्र०	सेट / उपकरण	रख-रखाव
1.	रेडियो टेलीफोनी सेट	<ol style="list-style-type: none"> <li>सेट को गर्मी, धूल, धूप, नमी, पानी व थिनर से बचाना चाहिये।</li> <li>सेट को आवश्यकता पड़ने पर गीले निचोड़े गये कपड़े से पोंछना चाहिये। सेट को पेट्रोलियम पदार्थ या थिनर इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिये।</li> <li>सेट पर अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना चाहिये।</li> <li>सेट के पास अनावश्यक रूप से रजिस्टर इत्यादि सामग्री नहीं रखनी चाहिये।</li> <li>सेट का पीटीटी स्विच छोड़ते ही तुरन्त रिलीज़ होना चाहिये अन्यथा इसकी साफ सफाई कराकर दुरुस्त करा लेना चाहिये।</li> <li>सेट की पीटीटी स्विच दबी न रहे इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए अन्यथा ग्रिड जैमिंग की समस्या होगी।</li> </ol>
2.	पावर सप्लाई	<ol style="list-style-type: none"> <li>पावर सप्लाई को गर्मी, धूल, धूप व पानी से बचाना चाहिये।</li> <li>पावर सप्लाई को भौतिक रूप से प्रतिदिन चेक करते रहना चाहिए।</li> <li>पावर सप्लाई का विद्युत सॉकेट से कनेक्शन ढीला नहीं होने देना चाहिए।</li> <li>पावर सप्लाई के ऊपर कोई भी सामग्री कदापि नहीं रखनी चाहिये।</li> </ol>
3.	टेलीफोन सेट	<ol style="list-style-type: none"> <li>सेट को गर्मी, धूल, धूप, नमी व पानी से बचाना चाहिये।</li> <li>सेट को आवश्यकता पड़ने पर गीले निचोड़े गये कपड़े से पोंछना चाहिये।</li> </ol>
4.	हैवी ड्यूटी बैटरी	<ol style="list-style-type: none"> <li>बैटरी को गर्मी, धूल, धूप व पानी से बचाना चाहिये।</li> <li>बैटरी को भौतिक रूप से प्रतिदिन चेक करते रहना चाहिए।</li> <li>बैटरी के टर्मिनल साफ रहने चाहिये एवं बैटरी लीड से कनेक्शन ढीला नहीं होने देना चाहिए।</li> <li>बैटरी के ऊपर धातु की कोई भी सामग्री कदापि नहीं रखनी चाहिये।</li> <li>बैटरियों की चार्जिंग समय-समय पर करते रहना चाहिए।</li> </ol>
5.	कनेक्टर, फीडर एवं एण्टीना	<ol style="list-style-type: none"> <li>कनेक्टर सेट तथा एण्टीना से कसा होना चाहिये।</li> <li>कनेक्टर से फीडर सही प्रकार से जोड़ा/सोल्डर होना चाहिये।</li> <li>फीडर कटा नहीं होना चाहिये।</li> <li>फीडर अत्यधिक लम्बा नहीं होना चाहिये।</li> <li>फीडर के पास अधिक वोल्टेज के तार नहीं होने चाहिये।</li> <li>एण्टीना मास्ट पर यथासम्भव एक से अधिक एण्टीना लगा हो तो आपात स्थिति में काम आता है।</li> <li>एण्टीना मास्ट पर यथासम्भव तड़ित चालक व लाइट लगी होनी चाहिये।</li> <li>एण्टीना मास्ट पर यथासम्भव चक्रानुक्रम में लाल-सिल्वर-लाल पेन्ट करना चाहिये।</li> </ol>



3.

### आरटी केन्द्र हेतु "मॉडल कोड ऑफ कण्डक्ट"

रेडियो टेलीफोनी केन्द्र पर संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संदेशों का आदान-प्रदान निरन्तर होता रहता है जो विशिष्ट महानुभावों/अधिकारियों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सुरक्षा बलों के संचरण व साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील हो सकती हैं। संदेशों की गोपनीयता भंग हो जाने अथवा गलत व्याख्या हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

अतः रेडियो टेलीफोनी केन्द्र निषिद्ध स्थलों की श्रेणी में आच्छादित होता है। ऐसे स्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये "मॉडल कोड ऑफ कण्डक्ट" का होना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु समाहित होने चाहिये-

1. ड्यूटी ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर समय से 05 मिनट पूर्व आयें।
2. पूर्व परिचालक से महत्वपूर्ण बातें/घटनाओं की जानकारी अनिवार्यतः की जाय।
3. लॉग बुक का अध्ययन कर सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं पर स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिये।
4. समस्त महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश एवं उनके समयबद्ध अनुपालन की स्थिति की जानकारी अवश्य करनी चाहिये।
5. ड्यूटी पर वर्दी में रहना चाहिये।
6. ड्यूटी ऑफ करने वाले कार्मिक को अपनी ड्यूटी से सम्बन्धित समस्त घटनाओं/निर्देशों के सम्बन्ध ड्यूटी प्रारम्भ करने वाले कार्मिक को बताना चाहिये।
7. ड्यूटी प्रारम्भ करने वाले कार्मिक को सभी उपकरणों एवं अभिलेखों को भलीभाँति चेक कर आश्वस्त हो लेना चाहिये।
8. केन्द्र पर साफ-सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिये तथा इस दौरान उपकरणों का पर्याप्त बचाव करना चाहिये।
9. केन्द्र अथवा ड्यूटी के दौरान किसी भी घटना की सूचना तत्काल सम्बन्धित को प्रदान करना चाहिये।
10. भाषा मृदु तथा व्यवहार सामान्य रखें।
11. केन्द्र पर प्राप्त होने वाले संदेशों को सम्बन्धित को तत्काल डिलीवर कराना चाहिये।
12. डिलीवरी बुक में संदेशों की सही समय पर प्राप्ति एवं प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर चेक करते रहना चाहिये।
13. सेट, बैटरी चार्जर एवं बैटरी की सफाई प्रतिदिन करना चाहिये।
14. सेट अधिक गर्म न हो रहा हो यह ध्यान रखना चाहिये।
15. बैटरी सही दशा में चार्ज रखनी चाहिये।
16. उपकरणों की खराबी तत्काल ठीक करानी चाहिये।
17. निर्धारित समय पर सामूहिक पुकार अवश्य की जानी चाहिये।

18. अपनी ड्यूटी के दौरान समस्त छोटी से छोटी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को लागबुक में लिखें।
19. ड्यूटी के दौरान प्राप्त संदेशों के प्रसारण में विलम्ब न किया जाय।
20. वीआईपी या अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया को छोड़कर संदेश लम्बित न रखा जाय।
21. संकेत सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिये। काम कम होने पर संकेत सुरक्षा नियमों को पढ़ते रहना चाहिये।
22. सन्देशों की गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिये।
23. ड्यूटी के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण संदेश अथवा आदेश/निर्देश पर किसी अन्य से चर्चा नहीं करनी चाहिये।
24. गोपनीय संदेशों या संदेशों के महत्वपूर्ण भाग को संकेत सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ही प्रसारित करना चाहिये।
25. सेट का वाल्यूम कम रखना चाहिये ताकि अन्य लोग वार्ता न सुन सकें।
26. टेलीफोन पर संदेशों का आदान-प्रदान न करें। मात्र किसी शब्द/वाक्य के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।
27. यदि चैनल पर अन्य कोई अवांछनीय कोड या वार्तालाप सुनने में आये तो अलर्ट होकर तुरन्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिये।
28. ड्यूटी कार्मिक को सदैव ड्यूटी पर शारीरिक एवं मानसिक तौर पर सतर्क एवं सचेत रहना चाहिये।
29. रेडियो टेलीफोनी ड्यूटी पर अतिथि सत्कार, चाय/खाना/मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान इत्यादि गतिविधिया वर्जित हैं।



4.

## आरटी प्रोसीजर

समाज में प्रत्येक व्यक्ति के वार्ता करने का ढंग भिन्न-भिन्न होता है। कुछ लोग बहुत तेज, कुछ बहुत धीमे और कुछ लोग इस प्रकार वार्ता करते हैं कि उन्हें अपनी बात दोहराने की जरूरत पड़ती है। रेडियो टेलीफोनी में कार्य को त्वरित गति से करना पड़ता है। अतः वार्ता करने के नियम बनाये गये हैं जिनके प्रयोग से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि संदेश साफ और बिना किसी रूकावट के भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हें हम चार वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में R.S.V.P भी सकते हैं।

1. लय (RHYTHM)
2. गति (SPEED)
3. ध्वनि की तीव्रता (VOLUME)
4. स्वर (PITCH)

### लय (RHYTHM)

वार्ता के दौरान लयबद्धता को बनाये रखना आवश्यक है। इसके लिये निम्न नियमों का पालन करना चाहिये—

1. संदेश को छोटे-छोटे मगर पूर्ण वाक्यों में बोला जाय।
2. संदेश के टुकड़े न किये जायें।
3. वार्ता के मध्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न किया जाय।
4. स्वयं से संदेश में उलट-फेर न किया जाय।

### गति (SPEED)

वार्ता के दौरान अपनी बात स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुँच जाय इस हेतु निम्न सावधानियों प्रयोग में लायी जा सकती हैं—

1. बोलने की गति आरम्भ से अन्त तक एक समान रहनी चाहिये।
2. जल्दबाजी न की जाय।
3. वार्ता के मध्य आंशिक विराम दिया जाय।
4. महत्वपूर्ण शब्दों का उच्चारण अनुरोध पर बिना किसी झुंझलाहट के दोबारा किया जाय।

### ध्वनि की तीव्रता (VOLUME)

रेडियो टेलीफोनी पर वार्ता करते समय हमें अपनी आवाज की तीव्रता इतनी ही रखनी है कि दूसरे छोर पर सुन रहा व्यक्ति हमारी बात को आसानी से सुन और समझ ले। इस हेतु निम्न सावधानियों करनी चाहिये:—

1. वार्ता की ध्वनि एवं लय एक समान रखनी चाहिये।
2. बहुत ज्यादा चिल्लाकर अथवा बहुत धीमे से नहीं बोलना चाहिये।
3. बोलते समय मुँह माइक्रोफोन के पास होना चाहिये।

**स्वर (PITCH)**

रेडियो टेलीफोनी में निम्न स्वर की अपेक्षा उच्च स्वर में प्रेषण अधिक सुगमता से होता है। अतः वार्तालाप अथवा संदेश प्रेषण के समय उच्च स्वर को वरीयता देनी चाहिये तथा यह ध्यान देना चाहिये कि वाक्यांश के अन्त तक उच्च स्वर बना रहे।

**रेडियो शाखा में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों का प्रारूप**

पुलिस प्रपत्र संख्या: 414


**लॉग-बुक**

केन्द्र..... फ्रिक्वेन्सी.....  
पुकार चिन्ह ..... दिनांक .....

समय	किस को	कहां से	संकेत बल		विवरण
			उसका	मेरा	

वितरण पुस्तिका

दिनांक	किसको	पंजिका नम्बर	सदेश वाहक का नाम	प्रापक का हस्ताक्षर (स्याही से) दिनांक व मुहर के साथ



**सन्देश प्रपत्र**

पुलिस प्रपत्र संख्या: 406(छोटा), 407(बड़ा)

**राज्य का नाम**

आवक	पुकार	प्राथमिकता	पारेषण निर्देश	क्रम संख्या	शब्द

इस रेखा के ऊपर का स्थान केवल रेडियो कर्मचारियों के लिये है।

प्रापक (पाने वाला)

सूचनार्थ

प्रारम्भक (भेजने वाला)

प्रारम्भक संख्या	दिनांक	संदर्भ	दिनांक	सुरक्षा वर्गीकरण
------------------	--------	--------	--------	------------------

---



---



---



---



---



---

प्राथमिकता	प्रारम्भक के हस्ताक्षर तथा पदनाम		आ0सं0
			के. प्रा0 सं0
	इस रेखा के नीचे का स्थान केवल रेडियो कर्मचारियों के प्रयोग के लिये है।		
आवक समय	जावक समय		
दिनांक	दिनांक		
पाठक	प्रेषक		

नोट—सन्देश प्रपत्र दो प्रकार के होते हैं। बड़ा और छोटा दोनों की संरचना एक जैसी ही होती है। बड़े में सिर्फ ज्यादा शब्द समूह लिखे जा सकते हैं। यह प्रपत्र दो साइजों में छपता है। छोटे साइज के प्रपत्र की पुलिस प्रपत्र संख्या 406 एवं बड़े साइज के प्रपत्र की पुलिस प्रपत्र संख्या 407 होती है।

**विलम्ब सूचना**

क्रम संख्या.....

सेवा में,

.....

आपका रेडियो संदेश जिसकी प्रारम्भ संख्या.....दिनांक.....

प्राथमिकता.....है और जो इस केन्द्र पर .....बजे प्राप्त हुआ, निम्नलिखित कारणवश अभी तक इस केन्द्र से प्रेषित नहीं हो सका है :-

- (अ) नेट (चैनल) में इससे उच्च प्राथमिकता वाले सन्देशों की अधिकता,
- (ब) प्रतिकूल संचार दशा
- (स) यंत्रों की खराबी,
- (द) परिचालन समय में परिवर्तन

-----बजे तक इसके प्रेषित होने की सम्भवना है।

हस्ताक्षर.....  
समय.....

रेडियो केन्द्र  
तिथि मोहर

**रेडियो केन्द्र**

**जावक—सन्देश रजिस्टर**

दिनांक	रजिस्टर नम्बर	क्र. सं.	प्रारम्भक का नाम	केन्द्र का नाम	प्राथमिकता	शब्द समूह		बीजांक केन्द्र			आरम्भ समय	प्राप्ति समय	जावक समय	हस्ताक्षर	टिप्पणी
						प्राथमिकता	साधारण	को	से	पहचान					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**रेडियो केन्द्र**

**आवक—सन्देश रजिस्टर**

दिनांक	रजिस्टर नम्बर	क्र. सं.	केन्द्र से	प्रेषित	प्राथमिकता	शब्द समूह		बीजांक केन्द्र			केन्द्र प्राप्ति समय	आवक समय	वितरण समय	हस्ताक्षर	टिप्पणी
						प्राथमिकता	साधारण	को	से	पहचान					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

एन आर स्लिप

नेट :  
केन्द्र का नाम :

कॉल साईन :  
दिनांक :

प्रेषित संदेश					प्राप्त संदेश				
रजिस्ट्रेशन	एनआर	जीआर	पूर्वता	प्रेषण समय	क्र०	एनआर	जीआर	पूर्वता	प्राप्ति समय

पुलिस रेडियो केन्द्र माध्यम सन्देश रजिस्टर (Through Message Register)

रजिस्टर संख्या	उसका एनआर	किस केन्द्र से	किस केन्द्र को	एनआर	प्रारम्भक संख्या	प्राथमिकता	शब्द समूह		आ० स०	के०प्रास० / आयक समय	जावक समय	हस्ताक्षर	टिप्पणी
							प्रा०	सा०					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



5.

## आरटी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले संदेशों का विवरण

रेडियो टेलीफोनी पर निम्न प्रकार के संदेश प्रसारण हेतु प्राप्त होते हैं:-

1. रेडियो टेलीफोनी पर वार्तालाप
2. अपंजीकृत
3. औपचारिक

### रेडियो टेलीफोनी पर वार्तालाप

यह विधि मुख्यरूप से अधिकारियों अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इस विधि के प्रयोग से वह अपने विचारों/निर्देशों का आदान-प्रदान करते हैं।

### अपंजीकृत संदेश

इस प्रकार के संदेश बहुधा उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से प्राप्त होते हैं।

### औपचारिक

इस प्रकार के संदेश निर्धारित प्रपत्र पर लिखे जाते हैं तथा अन्त में संदेश लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर भी रहती है।

संदेशों की प्राथमिकता के आधार पर प्रेषण हेतु निर्धारित समय निम्नानुसार है-

कैश	:	15 मिनट
अतिशीघ्र	:	30 मिनट
शीघ्र	:	60 मिनट
साधारण	:	04 घंटा

संदेश की प्राथमिकता	विषय	संदेश भेजने हेतु निर्धारित अधिकारी
कैश (शीघ्र) प्राथमिकता	इस प्राथमिकता का प्रयोग नितान्त आपातकालीन परिस्थिति के लिए संरक्षित है। इस प्राथमिकता का प्रयोग तब करना चाहिये जबकि सन्देश प्राप्त करने वाले को मानव जीवन बचाने या बहुमूल्य सम्पत्ति की रक्षा के लिए अविलम्ब कार्यवाही करनी हो। सन्देश महत्वपूर्ण होने चाहिये।	मुख्य सचिव, प्रमण्डल आयुक्त, गृह सचिव, जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक व उनके समकक्ष, मुख्य आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस वायरलेस अधिकारी।
अतिशीघ्र	इस प्राथमिकता का प्रयोग तभी होता है, जब दैवीय संकट, उपद्रव (साम्प्रदायिक) असामाजिक एवं राजनैतिक हड़तालें, दुर्घटनाएं, बलवे, हत्या सुरक्षात्मक उपाय, पुलिस बल की महत्वपूर्ण गतिविधियों के विषय में सन्देश को प्रेषित के पास अविलम्ब पहुँचना आवश्यक हो।	उप सचिव (गृह), उप जिलाधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी, अपर/सहायक सचिव (गृह), पुलिस उप अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी जो स्टेशन का संचालन कर रहे हैं।

संदेश की प्राथमिकता	विषय	संदेश भेजने हेतु निर्धारित अधिकारी
आवश्यक	शीघ्र ध्यानाकर्षण तथा कार्यवाही के लिए विधि व्यवस्था सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजनी हो तो इस पूर्वता का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्भावित हड़ताल, उपद्रव तथा अन्य उथल-पुथल सम्बन्धी सूचना, विधि व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में संलग्न उच्चाधिकारी, राजनैतिक नेताओं आन्दोलनकारियों, एवं खतरनाक अपराधियों की गतिविधियाँ इत्यादि।	
साधारण	जे संदेश विधि व्यवस्था से सम्बन्धित हैं तथा वायरलेस द्वारा भेजने के लिए न्यायसंगत हैं।	उपरोक्त सभी अधिकारी एवं विधि व्यवस्था से जुड़े अधिकारीगण एवं रेडियो विभाग के अधिकारी।



6.

## आरटी संदेशों की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी

रेडियो टेलीफोनी संचार असुरक्षित संचार पद्धति की श्रेणी में आच्छादित होता है क्योंकि इस पर की जा रही वार्ता को किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी सुनी जा सकती है। इस स्थिति के निराकरण हेतु रेडियो टेलीफोनी पर वार्ता के लिये नियम बनाये गये हैं। संदेश के मध्य किसी खास भाग (यथा वीआईपी/अधिकारी का नाम, प्रस्थान/आगमन/कार्यक्रम का समय, लोकेशन, यात्रा का माध्यम, सुरक्षा बलों एवं शस्त्रों के अवावागमन की स्थिति इत्यादि), जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या राष्ट्र को हानि का अंदेशा हो, को सामान्य भाषा में न भेजकर कूट भाषा में भेजकर हम अपने संदेश की गोपनीयता को बनाये रखा जा सकता है।

गोपनीय संदेशों का वर्गीकरण आसूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा परिचालित सूची "ए" एवं सूची "बी" में विस्तार से किया गया है।

सामान्यतः रेडियो टेलीफोनी के सभी संदेशों की पूर्वता "तीव्र" ही होती है तथा कभी-कभी सन्देश ऐसे अल्पसमय पर प्राप्त होते हैं कि उन्हें कूट भाषा में प्रसारित करना एक दुरुह कार्य होता है, परन्तु रेडियो टेलीफोनी हेतु निर्धारित कूट भाषा के अभ्यास से यह कार्य सरल और नियमित हो जाता है। रेडियो टेलीफोनी संचार असुरक्षित संचार पद्धति होने के कारण संदेशों की कूटकरण अत्यंत आवश्यक है।

सुरक्षा के दृष्टिगत संदेशों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न हैं:-

क्र०	वर्गीकरण	विवरण
1	परम गुप्त	ऐसे सन्देश जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।
2	गुप्त	ऐसे सन्देश जिनकी सूचना दूसरे को हो जाने से राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो जाये, राष्ट्र की प्रतिष्ठा या हित की दृष्टि से अत्यन्त हानि हो या सरकार बहुत उलझन में पड़े या किसी परराष्ट्र के लिए लाभदायी हो।
3	गोपनीय	ऐसे सन्देश जिनसे राष्ट्र को खतरा न हो परन्तु राष्ट्रीय हित, सरकारी कार्यवाही के या व्यक्ति विशेष के लिए प्रभाव प्रतिकूल हो और प्रशासनिक उलझन या कठिनाई पैदा करने का कारण बन सकती हो अथवा किसी अन्य राष्ट्र के लिए लाभदायी सिद्ध हो सकती हो।

भारत सरकार द्वारा रेडियो संचार की मॉनीटरिंग कराने हेतु देश भर में विभिन्न केन्द्रों की स्थापना की गयी है। यह केन्द्र एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ आवृत्तियों पर हाने वाले संचार की मॉनीटरिंग करते हैं तथा संकेत सुरक्षा नियमों में विचलन होने पर सम्बन्धित संगठन को इसकी सूचना देकर सुधार की अपेक्षा करते हैं तथा सुधार न होने की दशा में अन्य कार्यवाही की संस्तुति भी करते हैं।

मॉनीटरिंग केन्द्रों द्वारा प्रेषित की जा रही रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के संकेत सुरक्षा नियमों में विचलन के अधिकतम प्रकरण वीएचएफ रेडियो टेलीफोनी पद्धति के हैं।

अतः संगठन की प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति विशेष अथवा किसी हानि या मान प्रतिष्ठा से बचाव हेतु संकेत सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।



7.

## विशिष्ट अवसरों (यथा वीआईपी भ्रमण, चुनाव, दंगे) पर आरटी संचार

विशिष्ट अवसर रेडियो टेलीफोनी व्यवस्था का परीक्षा काल होता है। इस दौरान ऑपरेटर के साथ-साथ पर्यवेक्षण अधिकारी की क्षमता एवं दक्षता का मूल्यांकन भी हो जाता है। यह ऐसे अवसर होते हैं जब तकनीकी प्रणाली एवं कार्मिकों से अधिकमत क्षमता एवं दक्षता पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

वीवीआईपी/वीआईपी संचरण के अवसरों पर रेडियो टेलीफोनी संचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को अमल में लाना चाहिये—

1. वीवीआईपी/वीआईपी संचरण के समय जब तक आवश्यक न हो, तब तक ग्रिड पर कोई वार्ता न की जाय तथा ग्रिड को हर संभव प्रयास कर शांत रखा जाय।
2. ग्रिड पर कन्ट्रोल व उसके लिंक स्टेशनों के द्वारा वार्ता बहुत सूक्ष्म व स्पष्ट स्वर में की जाय।
3. वीआईपी ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के नाम, स्थान एवं दल शक्ति आदि हेतु पूर्व निर्धारित कोड शब्द/कोड नाम का ही प्रयोग किया जाय।
4. वीवीआईपी/वीआईपी फ्लीट के वाहन जैसे पायलेट, एस्कोर्ट, टेल आदि से समय-समय पर वीआईपी की लोकेशन न ली जाय उन्हें पूर्व ब्रीफिंग के आधार लोकेशन बताना चाहिये।
5. वीवीआईपी/वीआईपी ड्यूटी के दौरान स्थापित अतिरिक्त स्टेटिक स्टेशन जैसे वीआईपी स्थल, सेफ हाउस, सर्किट हाउस एवं अस्पताल आदि से समय-समय पर सिचुएशन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिये ताकि इनका लगातार कन्ट्रोल से संचार स्थापित रहे।

चुनाव ड्यूटी के दौरान रेडियो टेलीफोनी संचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित निम्नलिखित बातों को अमल में लाना चाहिये—

1. चुनाव ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल के द्वारा समस्त स्टेशनों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुये ग्रिड अनुशासन बनाये रखा जाय।
2. चुनाव ड्यूटी के दौरान स्थापित किये गये अतिरिक्त स्टेशनों से समय-समय पर सिचुएशन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिये।
3. चुनाव के दौरान कोई घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करानी चाहिये।
4. इस दौरान ग्रिड में स्थापित समस्त सबधित स्टेशनों से सूक्ष्म एवं स्पष्ट पोलिंग प्रतिशत प्राप्त किया जाना चाहिये ताकि लम्बे एवं अस्पष्ट सन्देशों से ग्रिड जैम होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

8.

## आरटी संचार एवं वायरलेस पी0ए0 बेस्ड संचार

रेडियो टेलीफोनी संचार से हम परिचित हो चुके हैं। रेडियो टेलीफोनी संचार के माध्यम से जन-जन तक सूचानाए पहुंचाने के लिये वायरलेस बेस्ड पीए संचार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में स्थापित की गयी है।

वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था के अन्तर्गत वायरलेस सेट के माध्यम से प्राप्त संदेश के विद्युतीय सिग्नल की एम्पलीफायर के माध्यम से शक्ति बढ़ाकर बड़े स्पीकर के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है।

वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था जनपदों में सामाजिक समरसता प्रभावित करने वाले अवसरों, साम्प्रदायिक दंगों, कर्फ्यू, मेले, त्योहार, चुनावों आदि के दौरान शासन एवं राजकीय अधिकारियों के सन्देशों को आम जनता तक पहुंचाने एवं अफवाहों को रोकने का सशक्त माध्यम है। इस प्रणाली के माध्यम से उच्चाधिकारी, कन्ट्रोलरूम व अन्य अधिकृत व्यक्ति स्थानीय जनता को सीधे सम्बोधित कर सकते हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 63 जनपदों के विभिन्न संवेदनशील स्थानों व 08 जीआरपी स्टेशनों पर वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था स्थापित करायी गयी है।

वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य उपयोग हैं—

1. संवेदनशील स्थानों व ऐसे स्थान जहाँ साम्प्रदायिक माहौल खराब होने की सम्भावना हो तथा अफवाह फैलने से शांति भंग की आशंका हो, वायरलेस बेस्ड पी0ए0 सिस्टम के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थिति को शीघ्रता से नियंत्रित किया जा सकता है।
2. वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था द्वारा थाना क्षेत्र की गतिविधियों को स्वयं थाना प्रभारी द्वारा निह्यत्रित किया जा सकता है।
3. उच्चाधिकारियों द्वारा विशेष अवसरों हेतु पूर्व से रिकॉर्ड की गयी ऑडियो क्लिप भी प्रचारित कर जनता को सन्देश दिये जा सकते हैं।
4. विभिन्न जूलूस, मेला, राम-बारात, प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति इत्यादि अवसरों पर इस प्रणाली के द्वारा आम जनता को सूचित एवं जागरूक किया जा सकता है।

वायरलेस बेस्ड पीए संचार व्यवस्था के द्वारा सन्देश प्रसारण हेतु निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी नितांत आवश्यक हैं—

1. वायरलेस बेस्ड पी0ए0 संचार, आरटी संचार से भिन्न है। इस संचार में केवल एक ही दिशा में सन्देशों का प्रसारण सुनिश्चित होता है जैसे कि आकाशवाणी/एफएम रेडियो/टेलीविज़न के माध्यम से होने वाले प्रसारण। इस प्रणाली में श्रोता सन्देश के बारे में प्रसारणकर्ता से स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सन्देश स्वतः स्पष्ट एवं स्वयं में पूर्ण होना चाहिये।

2. वायरलेस बेस्ड पी0ए0 संचार के दौरान भाषा सुस्पष्ट, सरल होनी चाहिये जो आम जनमानस के द्वारा आसानी से समझी जा सके। सन्देश प्रसारण में घटना/स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लय, गति, तारत्व एवं स्वर का समावेश होना चाहिये ताकि सही सन्देश जनमानस में प्रसारित हो।
3. वायरलेस बेस्ड पी0ए0 संचार पर प्रसारित होने संदेश उच्चाधिकारियों से अनुमोदित कराकर ही प्रसारित करने चाहिये।



9.

## आरटी वार्ता के लिए ध्यान देने वाली बातें

रेडियो टेलीफोनी संचार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देश प्रसारित किये जाते हैं साथ ही कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि रेडियो टेलीफोनी पर प्रसारण बहुत सोच समझकर करना चाहिये। यह संचार टेलीफोन एवं सेलुलर मोबाइल संचार से भिन्न संचार है। इस व्यवस्था में समय, सन्देश एवं सूचना की अत्यंत महत्ता है। अर्थात् संदेश संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना परम आवश्यक है। रेडियो टेलीफोनी संचार पर आदेशों के प्रसारण के साथ-साथ आदेशों के अनुपालन की सूचना तथा प्रगति भी प्रसारित की जाती है।

अतएव रेडियो टेलीफोनी संचार पर वार्ता के दौरान निम्न बातों का पालन करना अनिवार्य है ताकि सभी अपनी महत्वपूर्ण सूचनाओं को समय से प्रसारित कर सकें—

1. कन्ट्रोल रूम को ग्रिड अनुशासन बनाये रखे हेतु प्रारम्भ में प्रतिदिन आरटी केन्द्र सामूहिक पुकार (सी0क्यू0) करना चाहिये तथा बारी-बारी से सभी केन्द्रों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।
2. सी0क्यू0 के समय सभी केन्द्रों को टाइम सिगनल तात्क्षणिक समय प्रेषित करना चाहिये।
3. समस्त आवश्यक कार्यवाही को रेडियो लॉग में अंकित किया जाना चाहिये।
4. आरटी केन्द्र पूर्वता/प्राथमिकता के अनुसार संदेशों का निस्तारण करा जाना चाहिये।
5. केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़कर दो केन्द्रों की वार्ता के बीच अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये।
6. विशिष्ट अतिथियों/अधिकारियों के नाम, कार्य का स्थान, कार्यक्रम का समय, आवागमन का रास्ता आदि हेतु निर्धारित कोड शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिये।
7. वर्गीकृत विषयों को सादी भाषा में प्रेषित नहीं करना चाहिये।
8. ग्रिड पर वार्ता बहुत ही सूक्ष्म एवं स्पष्ट करनी चाहिये।
9. ग्रिड पर अक्षरशः वही संदेश व निर्देश प्रसारित किये जाने चाहिये जैसा कि उच्च स्तर से संदेश प्राप्त हुआ है ताकि संदेश की मूल भावना प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो।
10. प्राप्त संदेश/निर्देशों को समझने में यदि परिचालक को भ्रान्ति हो रही हो तो उसे संबधित अधिकारी से पूछ लेना चाहिये, जिससे सही निर्देश ही प्रसारित हो सके।
11. रूटीन टाइप के सन्देशों का विवरण समय से पूर्व तैयार कर लेना चाहिये ताकि सन्देश तुरन्त प्रसारित किया जा सके।



